राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4362 / 2022

जगदीश प्रसाद यादव

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
2. आयुक्त, कृषि विभाग, कृषि पंत भवन, सी–स्कीम, जयपुर।
3. सहायक निदेशक, कृषि (कृषि वि.), श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
4. बनवारी लाल गडवाल, वर्तमान पदस्थापन कृषि पर्यवेक्षक, मुख्यालय, टहटडा, कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, राजगढ।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 02.11.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 23.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण / पदस्थापन मु.पटवारियों का वास सहायक निदेशक, कृषि (वि.) श्रीमाधोपुर से मु. टहटडा, सहायक निदेशक कृषि (वि.), राजगढ में किया गया है एवं निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। उनका तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी को दुर्भावनापूर्वक समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानानतरण किया गया है।
3. उनका तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 30.09.2021 के द्वारा मु. पटवारियों का वास सहायक निदेशक, कृषि (वि.) श्रीमाधोपुर में किया गया था, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 04.10.2021 को कार्य ग्रहण कर लिया। इसके 9 माह पश्चात् अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के

दुर्भावनापूर्वक किया गया है। अतः अपील ग्राह्य कर आलोच्य आदेश की क्रियान्विति को अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित किया जावे।

4. हमनें विद्वान् अधिवक्ता के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।
5. अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि वर्तमान स्थानान्तरण आदेश निजी प्रत्यर्थी को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से पारित किया गया हो। जहां तक अपीलार्थी के नौ माह पश्चात स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में हमारा मत है कि केवल मात्र 9 माह में स्थानान्तरण किये जाने के आधार पर स्थानान्तरण आदेश को स्थगित नहीं किया जा सकता है, जबकि स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की दुर्भावना या अवैधता प्रकट नहीं हो। वर्तमान स्थानान्तरण आदेश जनहित में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश पारित किये जाने में किसी प्रकार की दुर्भावना, नियम विरूद्धता एवं विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है।
6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।
7. आदेश आज दिनांक 02.11.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)